

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अर्दीय सिंह

बनाम

पंजीय सिंह अर्दी

संख्या २०३ / २०२२ अन्तर्गत धारा

५३, १४४, २०९ RTA

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	तय्यार एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
३ <sup>१२</sup> / <sub>२३</sub>	अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक ३०/१२ को पेश हो (Kanna)	
३ <sup>०१</sup> / <sub>२५</sub>	अधिवक्तागण उपस्थित। राम प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्पन्न तलवना पेश हो। पत्रावली वारंते तलवी दिनांक ११/३/२५ को पेश हो।	
११ <sup>३</sup> / <sub>२५</sub>	अधिवक्तागण उपस्थित। शैख प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्पन्न तलवना पेश हो। पत्रावली वारंते तलवी व जवाबदावा दिनांक १६/५/२५ को पेश हो।	
५ <sup>४</sup> / <sub>२५</sub>	अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक १५/५/२५ को पेश हो (Kanna)	
१५ <sup>५</sup> / <sub>२५</sub>	जादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रुफ-२ कर ३ बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा ५३, १४४, २०९ RTA अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि तोकर गम्बर से कर तोकर दाखिल <del>कर</del> हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर